

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू-अभिलेख एवं परिमाण निदेशालय)

आदेश

बन्दोबस्त पदाधिकारी, शेखपुरा का पत्रांक 569 दिनांक 16.06.2023 के द्वारा की गयी अनुशंसा के आलोक में भू-अभिलेख एवं परिमाण निदेशालय, बिहार, पटना द्वारा निर्गत आदेश संख्या-685 दिनांक 17.03.2022 की कंडिका-3 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत श्रीमती सारिका सिंह (SKN00716), विशेष सर्वेक्षण कानूनगो का दिनांक 20.03.2023 से 15.09.2023 तक (कुल-180 दिनों) का मातृत्व अवकाश उपभोग करने की अनुमति दी जाती है।

2. प्रस्ताव पर निदेशक, भू-अभिलेख एवं परिमाण का अनुमोदन प्राप्त है।

Signed by Anil Kumar
Singh

Date: 10-10-2023 11:05:05

(अनिल कुमार सिंह)

सहायक निदेशक

भू-अभिलेख एवं परिमाण

प्रतिलिपि :

1. श्रीमती सारिका सिंह (SKN00716), विशेष सर्वेक्षण कानूनगो, बन्दोबस्त कार्यालय, शेखपुरा को सूचनार्थ प्रेषित।
2. बन्दोबस्त पदाधिकारी, बन्दोबस्त कार्यालय, शेखपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
3. श्रीमती सरिता कुमारी, प्रोग्रामर, भू-अभिलेख एवं परिमाण निदेशालय बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशित किया जाता है कि इसकी स्कैन कॉपी R2R के अन्तर्गत संरक्षित व्यक्तिगत संचिका में संधारित करें।